

हाईकोर्ट एवं सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों के संबंध में जारी निर्देशों की जाए पूरी पालना – जिला कलेक्टर

<https://shekhawatilive.com/instructions-issued-by-high-court-and-government-regarding-coaching-institutes-should-be-fully-followed-district-collector.html>

Shekhawati Live 14 hours ago

कोचिंग संस्थान एवं निजी शिक्षण संचालकों के साथ बैठक आयोजित

सीकर, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिले के कोचिंग संस्थान संचालकों एवं निजी शिक्षण संस्थानों के ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कोचिंग संस्थानों में अध्यनरत विद्यार्थियों को मानसिक संबलन प्रदान करने सहित **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** नई दिल्ली द्वारा कोचिंग संस्थानों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम एवं जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए।

इस दौरान जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा कि कोचिंग संस्थान सरकार एवं हाईकोर्ट द्वारा कोचिंग विद्यार्थियों के मानसिक संबलन के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की पूरी संवेदनशीलता के साथ पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंगों में गेटकीपर ट्रेनिंग करवाने सहित रविवार का अवकाश रखने एवं अगले दिन टेस्ट नहीं आयोजित करने एवं समय-समय पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित करने सहित जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना की जाए। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों द्वारा जिला प्रशासन को दी जा रही जानकारी का शपथ पत्र भी लिया जाएगा।

नव मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि सभी कोचिंग संस्थान यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां अध्यनरत 18 वर्ष से अधिक के बच्चों का मतदाता सूची में पंजीयन आवश्यक रूप से हो। इस दौरान एडीपीसी राकेश कुमार लाटा ने वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, डिलीट करवाने, मतदाता सूची में अपना नाम दूबढ़ने सहित अन्य जानकारियां विस्तार से दीं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों का नाम वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता सूची में आवश्यक रूप से जोड़ा जाए।

जिले में निवेश बढ़ाने के लिए होगा इन्वेस्टमेंट समिट

जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा कि सीकर जिले में निवेश को आकर्षित करने के लिए 23 अक्टूबर 2024 को जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीकर जिले में शिक्षा, चिकित्सा एवं खेल के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए कोचिंग संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में निवेश करें।

स्वच्छता फखवाड़ा के तहत आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम

बैठक में जिला परिषद के सीईओ नरेंद्र पुरोहित ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता फखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

कर आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत 27 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को एसके स्कूल खेल मैदान से डाक बंगला तक मैराथन रैली का आयोजन कर स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के सभी शिक्षण संस्थान अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं ताकि जिले को स्वच्छ बनाकर यहां निवेश की संभावनाओं को और अधिक बढ़ाया जा सके।

इस दौरान शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक राकेश गढ़वाल, सहायक जनसंपर्क अधिकारी राकेश कुमार ढाका सहित जिले की कोचिंग संस्थानों, निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे

तीन मुठभेड़ और पुलिस की मासूम कहानियां

<https://sachchibaten.com/three-encounters-and-innocent-police-stories/>

By Sachchi Baten Last updated Sep 27, 2024

...तो फिर कानून के राज की अवधारणा का क्या होगा?

-अजित द्विवेदी भारत में या किसी भी सभ्य समाज में मुठभेड़ में या पुलिस और न्यायिक हिरासत में आरोपियों या अपराधियों का भी मारा जाना समूची व्यवस्था के ऊपर धब्बा होता है। यह अपराध न्याय प्रणाली और समाज व्यवस्था पर कलंक है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप चाहे जितने भी गंभीर हों लेकिन उसे सजा देने का काम पुलिस का नहीं है। उसे कानून के हिसाब से अदालत से सजा मिलेगी। पुलिस को न्याय करने का अधिकार नहीं है। और पुलिस की इन मासूम कहानियों का भी कोई अर्थ नहीं होता है कि हथकड़ी में बंद आरोपी ने पुलिस वालों से हथियार छीन लिए या भागने की कोशिश की और इस क्रम में पुलिस के हाथों मारा गया।

इस तरह की मनोहर कहानियां समूची न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाली होती हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अदालतें आमतौर पर इन कहानियों पर यकीन कर लेती हैं। यह अच्छा है कि महाराष्ट्र के बदलापुर में अक्षय शिंदे की इनकाउंटर में हुई हत्या की कहानी पर हाई कोर्ट को यकीन नहीं हुआ है। अदालत ने कहा है कि पुलिस की कहानी में इतने झोल हैं कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। परंतु जब अदालतें पुलिस की कहानियों पर यकीन नहीं करती हैं तब भी थोड़ी बहुत फटकार या सख्ती के बाद बात आई गई हो जाती है।

इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस पहल नहीं होती है। ध्यान रहे भारत में फर्जी मुठभेड़ को अपराध और मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है लेकिन **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के एक पुराने आंकड़े के मुताबिक 2002 से 2017 के बीच भारत में 1,728 फर्जी इनकाउंटर हुए थे।

बहरहाल, असली मुठभेड़ आतंकवादियों के साथ होती है या नक्सलियों के साथ होती है। असली मुठभेड़ दंतेवाड़ा में होती है, जहां बहादुर जवान जान गंवाते हैं। असली मुठभेड़ जम्मू कश्मीर में होती है, जहां इस साल जुलाई में 10 जवान शहीद हुए हैं। असली मुठभेड़ मुंबई पर हुए आतंकी हमले के समय हुई थी, जिसमें मुंबई पुलिस के अनेक डेकोरेटेड और जांबाज अधिकारी शहीद हुए थे। इस राज्य या उस राज्य की पुलिस जो मुठभेड़ करती है, जिसमें किसी पुलिस वाले की बांह में या किसी की जांघ में गोली लगती है वह आमतौर पर फर्जी होती है। अगर राज्यों की पुलिस की एसटीएफ या एटीएस के ये जवान इतने ही जांबाज हैं तो इनको तत्काल बस्तर और दंतेवाड़ा में या कश्मीर और मणिपुर भेजा जाना चाहिए।

हकीकत यह है कि राज्यों में बनी ज्यादातर एसटीएफ या एटीएस का काम कानून व्यवस्था पर राज्य की सरकारों के लिए धारणा बनाने या धारणा को नियंत्रित करने का हो गया है। जब कानून व्यवस्था का सवाल उठता है और लोग नाराज होते हैं तो ये लोग कुछ आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराते हैं। इसके लिए उन्हें

इनाम इकराम मिलते हैं। समाज में कुछ लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है कि वे एक भस्मासुर पैदा कर रहे हैं, जिसका शिकार वे खुद भी हो सकते हैं।

बहरहाल, अभी देश मुठभेड़ की तीन घटनाओं को लेकर आंदोलित हैं। कहीं कहीं लोग रोमांचित भी हैं। लेकिन लोगों का क्या है! ये तीन प्रतिनिधि घटनाएं हैं। इनमें से एक उत्तर प्रदेश की घटना है, दूसरी महाराष्ट्र की है और तीसरी तमिलनाडु की है। यानी उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत की एक जैसी कहानी है। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले एक डकैती हुई, जिसमें शामिल एक कथित आरोपी मंगेश यादव को यूपी पुलिस की एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ के बाद की जो तस्वीरें मीडिया में आईं उसमें टीम का नेतृत्व करने वाले अधिकारी हवाई चप्पल में ही थे और किसी ने भी मुठभेड़ में पहनी जाने वाली कॉम्बैट ड्रेस नहीं पहनी थी। इसे लेकर खूब मजाक बना। लेकिन इस मुठभेड़ को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया।

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मंगेश यादव की मौत का मामला उठाया और दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह के बच जाने का जिक्र किया। इसके बाद मीडिया में ठाकुरवाद बनाम यादववाद की बहस शुरू हुई। जब बहस बढ़ी तो पुलिस ने अनुज प्रताप सिंह को भी मार गिराया। इसके बाद बड़े बेशर्म तरीके से धारणा प्रबंधन का काम शुरू हो गया, जिसमें कहा जाने लगा कि इस राज में किसी जाति को नहीं बखशा जाता है।

इस प्रचार में दो बुनियादी गड़बड़ियां हैं। पहली तो यह कि किसी आरोपी को मार डालने का काम पुलिस का नहीं है और वह श्रेय नहीं ले सकती है कि उसने न्याय कर दिया, किसी को नहीं बखशा? दूसरे, सरकार के बारे में धारणा प्रबंधन के लिए किसी की जान ले लेना, सभ्य समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है, बल्कि शर्म की बात है।

दूसरी घटना महाराष्ट्र की है, जहां बदलापुर में नाबालिग बच्चियों से यौन दुर्व्यवहार करने वाले अक्षय शिंदे को राज्य पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। अक्षय शिंदे ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में था। उसके ऊपर अपनी पत्नी से बलात्कार का आरोप भी लगा था और उसकी जांच के सिलसिले में ठाणे पुलिस उसे लेकर बदलापुर गई। बाद में पुलिस ने कहा कि उसने पुलिस हिरासत से निकल कर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक जवान घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अक्षय शिंदे को मार गिराया। सोचें, इस कहानी में कितने झोल हैं?

सबसे पहले तो यह बात आती है कि चारों तरफ से पुलिस से घिरा कोई आरोपी क्यों भागने की जोखिम लेगा? दूसरे, हथकड़ी में बंधा आरोपी कैसे पुलिस से हथियार छीन लेगा और फायरिंग भी कर देगा? और सबसे अहम सवाल जो हाई कोर्ट ने पूछा कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को क्या नहीं पता है कि ऐसी स्थिति में पैर में गोली मारते हैं? आरोपी अक्षय शिंदे को एक ही गोली लगी है और वह भी सिर में!

कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड पुलिस ने ऐसी ही मासूम कहानी सुनाई थी कि पुलिस से छूट कर आरोपी भागा और तालाब में डूब कर मर गया। उत्तर प्रदेश में भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्तार से छूट कर भागा था और

तालाब में डूब कर मर गया था। सोचें, कहीं ऐसा होता है? लेकिन भारत में न सिर्फ होता है, बल्कि पुलिस की इन कहानियों को भरोसा भी कर लिया जाता है। अक्षय शिंदे के मामले में कहानी कुछ ज्यादा अविश्वसनीय हो गई तो सीआईडी की जांच बैठा दी गई, जो निश्चित रूप से मुठभेड़ को सही ठहराएगी। आम लोगों ने इस मौत पर खुशी मनाई और लड्डू बांटे तो अब उसके बाद क्या न्यायिक कार्रवाई होगी? लोगों ने फैसला सुना दिया? लोग भी हिंसक और कुछ हद तक जाँम्बी होते जा रहे हैं।

बहरहाल, तीसरी घटना तमिलनाडु के चेन्नई की है। चेन्नई में सीजिंग राजा नाम के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उसके ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास सहित 30 मुकदमे थे और वह कई मामलों में वांछित था। उसके ऊपर बसपा के नेता आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या का भी आरोप लगा था। लेकिन बाद में पता चला था कि उसका उस घटना में हाथ नहीं है। सीजिंग राजा को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था और चेन्नई पुलिस को सौंप दिया था। वह भी पुलिस की हिरासत में था। पुलिस ने वहां भी वही मासूम कहानी सुनाई कि उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में मारा गया।

सोचें, कितना सुविधाजनक तर्क है! इस तर्क से तो पुलिस किसी की हत्या कर सकती है फिर कानून के राज का क्या होगा? क्या सरकारों और अदालतों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस जैसी संगठित फोर्स को अगर इस तरह की छूट मिलती रही और न्याय से बरसों, दशकों तक वंचित रहे नागरिक इसका समर्थन करते रहे तो आने वाले दिनों में कैसी भयावह स्थिति होगी? हम उस स्थिति तक पहुंचे उससे पहले इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा।